सामी उल्लाह

बनाम

अधीक्षक, नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो

(आपराधिक अपील संख्या 2008 का 1748)

7 नवम्बर 2008

(एसबी सिन्हा और साइरेक जोसेफ, जेजे.)

स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 2 (vii a), 37 और 67।

जमानत देना/रद्द करना - प्रतिषिद्ध सामग्री -हेरोइन- दो व्यक्तियों के कब्जे से जब्ती- अभियुक्त व्यक्ति द्वारा माल को अपीलार्थी को दिया जाना बताया - अपीलार्थी को गिरफतार किया गया - जमानत- नमूना की दूसरी रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर रद्द करना-का आैचित्य-निर्धारित कियाः यद्यपि, जमानत देने के सामान्य सिद्धांत 1985 के अधिनियम के मामलों में लागू नहीं होते हैं और अदालतों के पास ऐसे मामलों में जमानत देने की सीमित शक्ति है, लेकिन प्रतिबंधित सामान की मात्रा एक कारक है जिसे जमानत देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए- हस्तगत मामले में कथित तौर पर बरामद माल की मात्रा मध्यवर्ती मात्रा थी-इस प्रकार,

जमानत देने के लिए अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रावधानों की कठोरता उचित नहीं है- असंगत रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के प्रभाव को विचार के प्रक्रम पर प्रभाव में लिया जाना चाहिए, इस स्तर पर नहीं- इसके अलावा, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में सुरक्षित है-जब दो दृष्टिकोण संभव हों, तो जो अभियुक्त के पक्ष में झुकता है, उसका पक्ष लिया जाना चाहिए-जब अभियोजन पक्ष ही यह दिखाने में असफल रहा कि जब्त किए गए माल में कोई नशीला पदार्थ था, तो इस स्तर पर आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान पर निर्भरता उत्पन्न नहीं होती है-इसलिए, जमानत रद्द करने का आदेश रद्द कर दिया गया - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 439 - जमानत- का अनुदान-सामग्री।

इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत आरोपी के पास से बरामद प्रतिबंधित सामान के रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के पक्ष में दिए गए जमानत के आदेश को रद्द किया जा सकता था।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि दी गई जमानत तभी रद्द की जा सकती है जब धारा 439 उपधारा (2) दंड प्रक्रिया संहिता की आवश्यकताएं पूरी हो ; केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली एक निर्दिष्ट रासायनिक परीक्षक नहीं है जैसा कि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ नियम

1985 में परिभाषित किया गया है, उस पर निर्भरता विशेष रूप से तब नहीं रखी जा सकती थी जब "रासायनिक परीक्षक" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशाला ने अन्यथा राय दी हो; कि अधिनियम में एक नमूना एक प्रयोगशाला और दूसरा नमूना दूसरी प्रयोगशाला में भेजने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है; और प्रतिबंधित माल का न्यूनतम प्रतिशत यानी 2.6% पाया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में नहीं आएगा।

प्रतिवादी की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 37 में एक विशेष प्रावधान है कि {i) कोई भी अदालत लोक अभियोजक को सुने बिना जमानत नहीं देगी; {ii) अदालत की राय है कि यह मानने का उचित आधार है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध करने की संभावना नहीं है और उसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जमानत का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है; इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने स्वयं अधिनियम की धारा 67 के संदर्भ में एक बयान देकर अपना अपराध कबूल किया था, दोषसिद्धि का निर्णय उसके आधार पर किया जा सकता है। वकील के अनुसार, यहां तक कि वापस ली गई स्वीकारोक्ति भी दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करने का आधार बन सकती है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया:

1.1. यद्यपि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है, हालाँकि, आपराधिक प्रक्रिया

संहिता, 1973 के प्रावधानों के आवेदन को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से बाहर नहीं रखा गया है। जमानत देने वाले आदेश की अपील और जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के बीच अंतर मौजूद है। जमानत रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, यह पाया जाना चाहिए कि आरोपी ने उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है; कि उसने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है; कि आरोपी के फरार होने की संभावना है और इसलिए, ऐसी संभावना है कि आरोपी मुकदमे के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। [पैरा 10] [633-एच; 634-ए, बी, सी]

1.2 यह सही है कि जमानत देने के सामान्य सिद्धांत इस अधिनियम से जुड़े मामले में लागू नहीं होते हैं। इस संबंध में न्यायालय की शक्ति सीमित है। [पैरा 11] [634-डी]

1.3 सवाल यह है कि क्या पाया गया प्रतिबंधित पदार्थ धारा 2 (8ए) के अर्थ के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आता है या नहीं, यह उन कारकों में से एक है जिसे अदालतों द्वारा जमानत देने या देने से इनकार करने के मामले में ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहां तक कि, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण के अनुसार भी प्रयोगशाला, नई दिल्ली में भेजे गए नमूनों में से केवल 2.6% में हेरोइन पाई गई। धारा 2 (8ए) और 2(23ए)

के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में छोटी मात्रा 5 ग्राम है। इस प्रकार, सह-अभियुक्त व्यक्तियों से बरामद की गई कथित मात्रा को मध्यवर्ती मात्रा कहा जा सकता है और इस प्रकार, जमानत देने से संबंधित अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों की कठोरता को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 13] [635-सी-जी]

ओसेफ उर्फ थंकाचन बनाम केरल राज्य **(2004) 4 एससीसी 446** और ई. माइकल राज बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, **(2008) 5 एससीसी 161**, पर भरोसा किया गया।

1.4. नीमच में अधिकृत प्रयोगशाला ने स्पष्ट रूप से पाया कि जब्त किए गए पदार्थ में कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं था। जमानत देने के उद्देश्य से, अदालत पर भरोसा करके यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई अवैधता की है। [पैरा 15) [637-ए]

1.5 अब तक इस बात पर मतभेद है कि केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली की राय है कि नमूने में 2.6% हेरोइन शामिल है। उक्त विरोधाभासी रिपोर्ट के प्रभाव पर गौर किया जाना चाहिए केवल परीक्षण पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है। जब दो विचार संभव हों, तो जो दृष्टिकोण किसी अभियुक्त के पक्ष में झुकता है, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। [पैरा 15) [637-बी, सी]

1.6 यह वह स्तर नहीं है जहां अदालत को प्रतिवादी की ओर से इस दलील पर विचार करने की आवश्यकता है कि किसी अभियुक्त द्वारा दिए गए संस्वीकृत बयान के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया जाना संभव है। ऐसा हो सकता है लेकिन सवाल यह है कि जब अभियोजन पक्ष स्वयं यह दिखाने में विफल रहा कि जब्त किए गए पदार्थ में कोई मादक पदार्थ या मनःप्रभावी पदार्थ था, तो आरोपी के कबूलनामे पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता; कम से कम इस स्तर पर. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता। जमानत रद्द करने के आदेश को रद्द किया जाता है और उच्च न्यायालय में दायर पुनरीक्षण आवेदन को अनुमति दी जाती है। [पैरा 16 और 19) [637-डी, ई; 641-डी)

राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम संजय गांधी, **(1978) 2 एससीसी 411**, पर भरोसा किया गया।

मॉरीशस राज्य बनाम खोयराट्टी **(2006) यूकेपीसी 13: (2006) 2 डब्लूएलआर 1330**, संदर्भित।

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत:

(2004) 4 एससीसी 446	**भरोसा किया**	**पैरा 13**
(2008) 5 एससीसी 161	**भरोसा किया**	**पैरा 13**
(1978) 2 एससीसी 411	**भरोसा किया**	**पैरा 18**

(2006) 2, डब्ल्यूएलआर 1330 संदर्भित पैरा 17

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1748/2008।

राजस्थान उच्च न्यायालय में जयपुर की खंडपीठ के एस.बी. फौजदारी - पुनरीक्षण याचिका संख्या 277/2005 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.2.2008 से।

सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, अर्चना तिवारी, अश्विन वी. कोथमथ और प्रतिभा जैन अपीलकर्ता की ओर से।

बी.बी. सिंह, कुमार राजेश सिंह, एन. गुप्ता और बी.वी. बालाराम दास प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस.बी. सिन्हा, जे: 1. याचिका स्वीकृत।

2. क्या यहां अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए जमानत के आदेश को उसके पास से 'हेरोइन' वाली बरामद वस्तुओं के विश्लेषण की रिपोर्ट के आधार पर रद्द करने का निर्देश दिया जा सकता था, यह यहां शामिल मुख्य प्रश्न है।

3. हालाँकि, इससे पहले कि हम उक्त प्रश्न पर ध्यान दें, हम मामले में शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर ध्यान दे सकते हैं।

14.08.2004 को या उसके आसपास, एक बस में यात्रा कर रहे दो व्यक्तियों, अब्दुल मुनाफ और जाहिद हुसैन के सामान की तलाशी ली गई और कथित तौर पर 2 किलोग्राम वजन का प्रतिबंधित सामान मिला। बरामद किया गया। उक्त आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक कथित बयान दिया गया था कि उक्त प्रतिबंधित पदार्थ (हेरोइन) अपीलकर्ता को वितरित किया जाना था। उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उक्त आरोपी व्यक्तियों के उक्त बयानों के अलावा, उनके खिलाफ आरोप को कायम रखने के लिए कोई अन्य सामग्री रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। उक्त बयान के आधार पर अपीलकर्ता को 15.08.2004 को गिरफ्तार कर लिया गया। कथित तौर पर, उनके द्वारा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 67 के संदर्भ में एक बयान दिया गया था। अपीलकर्ता का तर्क है कि उसे प्रताड़ित किया गया और कुछ खाली दस्तावेजों पर उससे जबरन बयान लिये गये। बाद में वह इससे मुकर गए। निर्विवाद रूप से, जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए शासकीय अफीम एवं अल्कलॉइड वर्क्स, नीमच भेजा गया था। 23.09.2004 को जांच अधिकारी को एक रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें कहा गया था कि नमूने में कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं था। इसके बाद

अपीलकर्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया। अभियोजन पक्ष ने सह-अभियुक्त व्यक्तियों से कथित तौर पर बरामद पदार्थ को केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली द्वारा जांच के लिए भेजने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की। इसे न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिनियम में नमूने को किसी अन्य प्रयोगशाला में भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में आरोपमुक्त करने का आदेश पारित नहीं किया, बल्कि उसे यह कहते हुए जमानत पर रिहा कर दिया:

> "तदनुसार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई आधार नहीं है कि शिकायतकर्ता के आवेदन को स्वीकार करके दूसरे नमूने को जांच के लिए किसी अन्य प्रयोगशाला में भेजने का आदेश पारित किया जाए। यदि जांच अधिकारी चाहे तो उपरोक्त बताए गए फैसले के अनुसार वह दूसरे नमूने को अपने स्तर पर जांच के लिए किसी भी प्रयोगशाला में भेजने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, शिकायतकर्ता का आवेदन खारिज किया जाता है।"

4. हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने एक और नमूना केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को भेजा। दिनांक 6.01.2005 को एक

रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें कहा गया था कि संदर्भ के तहत नमूने का डायसिटाइल-मॉर्फिन (हेरोइन) के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था, जो उक्त रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण किए गए नमूने का 2.6% पाया गया था।

5. इसके बाद, 4.02.2005 को जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया। दिनांक 15.03.2005 के एक आदेश द्वारा, अपीलकर्ता को दी गई जमानत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली से प्रतिवादी द्वारा प्राप्त दूसरी रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दी गई थी:

> "उपर्युक्त उद्धरणों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्तमान तथ्यों के तहत, दूसरा नमूना जो जांच के लिए भेजा गया था और उसकी प्राप्ति के अनुसार जब्त किया गया पदार्थ हीरोइन था, और जिसके आधार पर आरोपी व्यक्तियों आरोप लगाए गए हैं, और अभियोजन पक्ष को रासायनिक परीक्षण के लिए दूसरा नमूना भेजने का अधिकार है, और इस प्रकार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप हैं जिनमें कम से कम दस साल की अवधि के कारावास की सजा देने का प्रावधान है और एक लाख रुपये का जुर्माना, साथ ही

अधिनियम की धारा 37 के तहत, वाणिज्य और व्यापार की मात्रा में मनोवैज्ञानिक पदार्थों की बरामदगी के मामले में, जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाती कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, और उसे जमानत देने की स्थिति में जमानत पर मुक्त रहने के दौरान उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया जाएगा।"

6. अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक पुनरीक्षण याचिका, जिसे 2005 की एसबी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 277 के रूप में चिह्नित किया गया था, को आक्षेपित निर्णय के कारण खारिज कर दिया गया था।

7. इस प्रकार, अपीलार्थी हमारे सामने है।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुशील कुमार जैन का तर्क रहा कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी को पहले दी गई जमानत को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था।

विद्वान वकील का तर्क रहा कि दी गई जमानत केवल तभी रद्द की जानी चाहिए जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 की उपधारा (2) में निहित आवश्यकताएं पूरी हो।

किसी भी घटना में, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली एक निर्दिष्ट रासायनिक परीक्षक नहीं है जैसा कि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 (संक्षेप में "नियम") में परिभाषित किया गया है, उस पर निर्भरता विशेष रूप से तब नहीं रखी जा सकती थी जब प्रयोगशाला जो "रासायनिक परीक्षक" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती है, ने अन्यथा राय दी थी।

विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 13(3) के प्रावधानों के भिन्न , इस अधिनियम में एक नमूना एक प्रयोगशाला में और दूसरा नमूना दूसरी प्रयोगशाला में भेजने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि हेरोइन का जो न्यून प्रतिशत पाया गया है, यानी 2.6%, वह वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में नहीं आएगा।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बी.बी. सिंह ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अधिनियम की धारा 37 में एक विशेष प्रावधान है कि (i) कोई भी अदालत लोक अभियोजक को सुने बिना

जमानत नहीं देगी; (ii) अदालत की राय है कि यह मानने का उचित आधार है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध करने की संभावना नहीं है, उसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जमानत का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने स्वयं अधिनियम की धारा 67 के संदर्भ में एक बयान देकर अपना अपराध कबूल किया था, दोषसिद्धि का निर्णय उसके आधार पर किया जा सकता है। अधिवक्ता के अनुसार, यहां तक कि वापस ली गई स्वीकारोक्ति भी दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज करने का आधार बन सकती है।

10. हालांकि यह अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है, लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुप्रयोग को, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ के माध्यम से अपवर्जित किया रखा गया है। जमानत देने वाले आदेश की अपील और जमानत रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के बीच अंतर मौजूद है। जमानत रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, यह पाया जाना चाहिए कि आरोपी ने उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप:

(ए) उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है;

(बी) उसने गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है;

(सी) आरोपी के फरार होने की संभावना है और इसलिए, ऐसी संभावना है कि आरोपी मुकदमे के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है।

11. यह सच है कि जमानत देने के सामान्य सिद्धांत इस अधिनियम से जुड़े मामले में लागू नहीं होते हैं। इस संबंध में न्यायालय की शक्ति सीमित है। अधिनियम की धारा 37 इस प्रकार है:

"37. अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी--

(ए) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(बी) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27ए के तहत अपराध और वाणिज्यक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए भी दण्डनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा तब तक कि...

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(2) उप-धारा (1) के खंड (बी) में विर्निष्ट जमानत मंजूर करने के सम्बंध में यह परिसीमाएं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त् है।"

12. हालाँकि, वाणिज्यिक मात्रा और छोटी मात्रा के संदर्भ में जमानत देने के संबंध में भी एक अंतर किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (8ए) में वाणिज्यिक मात्रा को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से अधिक कोई भी मात्रा"।

13. हम "रासायनिक परीक्षक" की परिभाषा के प्रश्न पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। हालाँकि, यह सवाल कि क्या पाया गया प्रतिबंधित पदार्थ

धारा 2 (7ए) के अर्थ के तहत वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आता है या नहीं, उन कारकों में से एक है। मामले में अदालतों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिसे जमानत देने या देने से इंकार करने के यहां तक कि, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के अनुसार, भेजे गए नमूनों में से केवल 2.6% में हेरोइन पाई गई। धारा 2 (7ए) और 2(23ए) के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में छोटी मात्रा इस प्रकार है:

क्र.सं.	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ का नाम (अन्तराष्ट्रीय गैर मालिकाना नाम(आईएनएन)	रसायनिक नाम	छोटी मात्रा	वाणिज्यिक मात्रा
77.	मॉर्फिन	मॉर्फिन	5 ग्राम	250 ग्राम

इस प्रकार, सह-आरोपी व्यक्तियों से बरामद की गई कथित मात्रा को मध्यवर्ती मात्रा कहा जा सकता है और इस प्रकार, जमानत देने से संबंधित अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों की कठोरता को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

ओसेफ उर्फ थंकाचन बनाम केरल राज्य [(2004) 4 एससीसी 446] में, इस न्यायालय ने कहा:

"8. हमारे द्वारा विचार किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या मनःप्रभावी पदार्थ कम मात्रा में था और यदि हां, तो क्या

यह व्यक्तिगत उपभोग के लिए था। 'छोटी मात्रा' शब्द को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23-07-1996 की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। राज्य के विद्वान वकील ने हमारे ध्यान में लाया है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार छोटी मात्रा को 1 ग्राम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यदि ऐसा है, तो अपीलकर्ता से बरामद मात्रा केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना निर्दिष्ट छोटी मात्रा की सीमा से काफी कम है। यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक एम्पुल में केवल 2 मिलीलीटर और प्रत्येक मिलीलीटर में केवल 3 मिलीग्राम होता है। इसका मतलब है कि अपीलकर्ता के कब्जे में पाई गई कुल मात्रा केवल 66 मिलीग्राम थी। अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट छोटी मात्रा की सीमा से यह 1/10 से भी कम है।

11. उपरोक्त तथ्य स्थिति के कारण, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि ब्यूप्रेनोर्फिन (टिडिजेसिक) की छोटी मात्रा अपीलकर्ता के कब्जे में उसके व्यक्तिगत उपभोग के लिए थी और इसलिए, उसके द्वारा किया गया अपराध एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आएगा।''

[ई. माइकल राज बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (2008) 5 एससीसी 161 भी देखें]

14. केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए। नियमों के नियम 2(सी) में "रासायनिक परीक्षक" को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "रासायनिक परीक्षक या उप मुख्य रसायनज्ञ या शिफ्ट केमिस्ट या सहायक रासायनिक परीक्षक, सरकारी अफीम और अल्कलॉइड वर्क्स, नीमच या, जैसा मामला हो, गाजीपुर।"

15. हमारे लिए इस मामले पर गहराई से विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या उपरोक्त परिभाषा संपूर्ण है, लेकिन हमे जमानत के आदेश को रद्द करने से जुड़े प्रश्न पर विचार करना हैं। नीमच में अधिकृत प्रयोगशाला ने स्पष्ट रूप से पाया कि जब्त किए गए पदार्थ में कोई वर्जित पदार्थ नहीं था। जमानत देने के उद्देश्य से, यह नहीं कहा जा सकता कि अदालत ने उस पर भरोसा करके कोई अवैधता की है।

अब तक इस बात पर मतभेद है कि केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली की राय है कि नमूने में 2.6% हेरोइन शामिल था। उक्त विरोधाभासी रिपोर्ट का प्रभाव केवल विचारण के दौरान ही देखा जाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है। जब दो विचार संभव हों, तो जो दृष्टिकोण किसी अभियुक्त के पक्ष में झुकता है, उसका समर्थन किया जाना चाहिए।

16. यह वह चरण नहीं है जहां अदालत को श्री बी.बी. सिंह की इस दलील पर विचार करने की आवश्यकता है कि किसी अभियुक्त द्वारा दिए गए संस्वीकृत बयान के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया जाना संभव है। ऐसा हो सकता है लेकिन सवाल यह है कि जब अभियोजन पक्ष स्वयं यह दिखाने में विफल रहा कि जब्त किए गए पदार्थ में कोई स्वापक पदार्थ या मनःप्रभावी पदार्थ था, कम से कम इस स्तर पर तो आरोपी के स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता;

नूर आगा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में [2008 (9) स्केल 681], में इस न्यायालय ने निर्धारित किया :

> "92. हम, शुरुआत में, देख सकते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 पर स्पष्ट निर्भरता रखकर उच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक त्रुटि की गई है।
>
> 93. इसका तात्पर्य माल की तस्करी के संबंध में पूछताछ में सबूत पेश करने, दस्तावेज़ या किसी अन्य चीज़ को पेश करने से है। धारा 108 की उप-धारा (4) के संदर्भ में प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में एक न्यायिक कार्यवाही होगी। धारा 108 के तहत की जाने वाली जांच 1962 अधिनियम के उद्देश्य के लिए है,

न कि अधिनियम के प्रावधानों सहित किसी अन्य कानून के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के उद्देश्य से।

98. यह बताया गया कि पुलिस अधिकारी की अपराध का पता लगाने की शक्ति और कस्टम अधिकारी जिसमें माल की तस्करी की जांच करने और राजस्व की हानि के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति निवेश की जाती है, अलग है, वे पुलिस अधिकारी नहीं थे, लेकिन फिर न्यायालय ने उक्त उद्देश्य के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लागू करने की विधायी शक्ति के अभाव में निम्नलिखित शब्दों से पुलिस की सामान्य छवि पर ध्यान दियाः

> 23. यह भी ध्यान देने योग्य है कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम स्वयं सीमा शुल्क अधिकारी के विपरीत पुलिस अधिकारी को संदर्भित करता है। धारा 180 एक पुलिस अधिकारी को अधिनियम के तहत जब्त की जा सकने वाली वस्तुओं को इस संदेह पर जब्त करने का अधिकार देती है कि वे चोरी की गई हैं। धारा 184 में प्रावधान है कि जब्ती का निर्णय करने वाला अधिकारी जब्त की गई वस्तु को अपने कब्जे में लेगा और पुलिस का प्रत्येक अधिकारी, ऐसे अधिकारी के अनुरोध

पर, उसे ऐसा कब्जा लेने और रखने में सहायता करेगा। इससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि सीमा शुल्क अधिकारी पुलिस का अधिकारी नहीं है।

24. अधिनियम की धारा 171-ए सीमा शुल्क अधिकारी को किसी भी सामान की तस्करी के संबंध में की जा रही पूछताछ में किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या दस्तावेज या कोई अन्य चीज पेश करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है।

100. हालाँकि, जब सीमा शुल्क अधिकारी अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यह माल की तस्करी की जाँच करने के लिए एक अधिकारी के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं; यह अपराध का पता लगाने और आरोपी को सजा दिलाने के उद्देश्य से कार्य करते है।"

लेकिन, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, इस स्तर पर उक्त प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

17. हालाँकि, हम संयोग से मॉरीशस राज्य बनाम खोयराट्टी [2006] यूकेपीसी 13: [2006] 2 डब्ल्यूएलआर 1330] में प्रिवी काउंसिल के एक हालिया फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें जमानत देने के

लिए अदालत की शक्ति को कम करने वाला एक समान प्रावधान था। मॉरीशस के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के दायरे से बाहर माना है। साधारण बहुमत से एक संवैधानिक संशोधन किया गया। यहां तक कि उस संवैधानिक संशोधन को भी असंवैधानिक माना गया। उपरोक्त मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह कहते हुए उक्त निर्णय को बरकरार रखा:

> "ए बनाम गृह विभाग के राज्य सचिव [2005] 2 एसी 68 में लॉर्ड बिंघम ने प्रमुख निर्णय दिया। उन्होंने पैरा 42 में कहा:
>
> "...यह भी सच है...कि संसद, कार्यपालिका और अदालतों के अलग-अलग कार्य हैं। लेकिन कानून की व्याख्या और लागू करने के लिए स्वतंत्र न्यायाधीशों के कार्य को आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता के रूप में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है, कानून के शासन की आधारशिला है। अटॉर्नी जनरल को न्यायिक प्राधिकार की उचित सीमाओं पर जोर देने का पूरा अधिकार है, लेकिन न्यायिक निर्णय लेने को किसी तरह से अलोकतांत्रिक बताकर कलंकित करना गलत है।"

हालाँकि ये निर्णय बोर्ड के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर निर्णायक नहीं हैं, फिर भी ये निर्णय संविधान की धारा 1 के शब्दों को महत्वपूर्ण रंग देते हैं, अर्थात मॉरीशस एक लोकतांत्रिक राज्य होगा।

14. ध्यान में रखने योग्य एक और पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर निर्णय आंतरिक रूप से न्यायपालिका के क्षेत्र में हैं। कम से कम इसका मतलब यह है कि ऐतिहासिक रूप से जमानत पर निर्णय न्यायिक माने जाते थे। एंडरसन में उद्धृत ऑस्ट्रेलियाई न्यायशास्त्र में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के महत्व पर जोर दिया गया था। यह कारक भी खंड 1 के शब्दों को रंग देता है।"

18. इसके अलावा, जमानत रद्द करने के उद्देश्य से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ऐसा करने में विफल रहा है।

हम देख सकते हैं कि राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम संजय गांधी [(1978) 2 एससीसी 411] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"13. जब जमानत के लिए आवेदन किया जाता है तो जमानत को अस्वीकार करना एक बात है; पहले से दी गई जमानत को रद्द करना

बिल्कुल दूसरी बात है। ऐसे मामले में दी गई जमानत को रद्द करने की तुलना में गैर-जमानती मामले में जमानत आवेदन को खारिज करना आसान है। रद्दीकरण जमानत में आवश्यक रूप से पहले से किए गए निर्णय की समीक्षा शामिल होती है और इसे बड़े पैमाने पर केवल तभी अनुमति दी जा सकती है, जब पर्यवेक्षण परिस्थितियों के कारण, आरोपी को मुकदमे के दौरान अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देना निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं होगा। तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष के गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं, यह अपने आप में इस निष्कर्ष को सही नहीं ठहरा सकता है कि आरोपी ने उन्हें जीत लिया है। एक भाई, एक बहन या माता-पिता, जिन्होंने अपराध होते देखा है, अदालत में जांच के दौरान दर्ज किए गए बयान से मुकर सकते हैं। यह सहज रूप से होता है, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से, आरोपी के अनुनय से नहीं। गवाह का आरोपी की बेगुनाही में दांव है और इसलिए वह उसे अपराध से बचाने की कोशिश करता है। इसी तरह, एक कर्मचारी भी कृतज्ञता की भावना, दबाव या अनुनय के बिना झूठ बोलकर मालिक को उपकृत कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वस्तुनिष्ठ तथ्य यह है कि गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं, इसका अप्रार्थी की व्यक्तिपरक भागीदारी के साथ एक कारणात्मक संबंध दिखाया जाना चाहिए। ऐसे सबूत के बिना, एक बार दी गई जमानत को मौके पर या इस अनुमान पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि गवाहों को आरोपी ने जीत लिया है। अभियुक्त के प्रभाव को असंगत गवाही के लिए जिम्मेदार

नही ठहराया जा सकता और ना ही अभियोजन पक्ष के प्रभाव के कारण सुसंगत गवाही होना कहा जा सकता है। इसलिए, श्री मुल्ला द्वारा सही बताया गया है, कि इस बात की उचित संभावना है कि अपीलकर्ता यादव जैसे मारुति के कर्मचारी अपनी इच्छा से, अप्रार्थी को आपराधिक आरोपों में शामिल होने से बचाने का प्रयास कर सकते हैं।अब अप्रार्थी को उपकृत करने की उनकी इच्छा इस बात पर निर्भर करती है कि अप्रार्थी ने उन्हें अतीत में कितना उपकृत किया है। इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह अप्रार्थी की ओर से कुछ कार्य या आचरण दिखाए जिससे एक उचित निष्कर्ष निकले कि गवाह अप्रार्थी द्वारा या उसकी ओर से हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अपने बयानों से पीछे हट गए हैं।"

19. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। जमानत रद्द करने के आदेश दिनांक 15.03.2005 को रद्द किया जाता है और उच्च न्यायालय में दायर पुनरीक्षण आवेदन को अनुमति दी जाती है। अपील स्वीकार की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिमांशु कुमावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।